

बालिका के साथ
आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
साइज संतुक्त फोटो
अपलोड करें

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
लॉर्डवा तल, जवाहर मन्दि, लखनऊ।
कन्या सुमंगला योजना

नोट: बालिका के पंजीकरण हेतु तभी संलग्नकों के साथ,
स्वयं-सत्यापित व पूर्ण रूप से भरे गये फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।

वहि पहले से योजना का लाभ ले रहे हैं तो पहचान संख्या/परिवार आईडी/रसीद संख्या भरें...
(पंजीकरण रसीद अपलोड / संलग्न करें)

(पहली बार आवेदन करने पर निम्न विकल्प आवेद्य)

1. आवेदक का नाम

2. आवेदक का बालिका के साथ क्या संबंध है तुम्हें

- माता ()
- पिता ()
- अनिभावक ()

3. बालिका का नाम (हिन्दी में)

4. बालिका का नाम (अंग्रेजी में) (कृपया नाम
आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/विधालय सर्टीफिकेट के अनुक्रम लिखें।)

5. जन्म तिथि जन्म का स्थान (ज़िला)

6. बालिका की माता का नाम

7. पिता का नाम

8. अनिभावक का नाम

9. क्या लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है

हौं () नहीं ()

10. स्थायी पता पिन कोड _____ (नियाम
प्रमाण पत्र हेतु राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोर आईडी, ग्राउंडिंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी,
गैर कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, जलकर रसीद, गृहकर रसीद, टेलीफोन बिल या बैक पासबुक में से कोई
एक संलग्न/अपलोड करें संलग्न/अपलोड करें)

11. वर्तमान पता पिन कोड _____

12. परिवार की वार्षिक आय ₹०-३.०० लाख से कम है हौं () नहीं ()

13. परिवार में बच्चों की संख्या 2 या उससे कम है हौं () नहीं ()